राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.1(2)( )आ.प्र.एवं सआ/ओलावृष्टि/11/ 2667-81 जयपुर,दिनांक 3.3.11

वास्ते,

जिला कलक्टर,
सीकर/झुन्झुनू/भीलवाड़ा/जयपुर/अजमेर

विषय :– ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाला राहत पैकेज।

राज्य सरकार ने इस वर्ष आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुँचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार है :–

1. जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको दो हेक्टेयर तक निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा :–
   - असिंचित क्षेत्र हेतु — 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर
   - सिंचित क्षेत्र हेतु
     ए–बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु — 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर
     बी–डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु — 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर
2. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगें।
3. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है,जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।
4. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले कास्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जावेगा।
5. किसी काश्तकार का नोशनल शेयर के आधार पर,, उसके स्वामित्व की भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु /सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन गॉवों को अभाव की स्थिति होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु डॉट मैन्युअल के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित की जावेगी।
7. अभावग्रस्त घोषित गांवो के प्रभावितो से भू–राजस्व वसूली स्थगित की जावेगी तथा सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिर्वतन किया जायेगा।
8. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

संबंधित जिला कलक्टर घोषित पैकेज अनुसार राशि की गणना कर,बजट की ऑनलाइन मांग शीघ्र प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन होते ही सहायता वितरण बिना विलम्ब किए शुरू करेंगे।

3/3/11

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.1(2)( )आ.प्र.एवं सआ/ओलावृष्टि/11/ 2777-95 जयपुर,दिनांक 8-3-11

वास्ते,

जिला कलक्टर,, टोंक/बूंदी/चूरू/भरतपुर/
जैसलमेर /श्री गंगानगर एवं कोटा

विषय :– ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाला राहत पैकेज।

राज्य सरकार ने इस वर्ष आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुँचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार है :–

1. जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको दो हेक्टेयर तक निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा :–
   - असिंचित क्षेत्र हेतु — 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर
   - सिंचित क्षेत्र हेतु
     ए–बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु — 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर
     बी–डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु — 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर
2. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगें।
3. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है,जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।
4. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले कास्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जावेगा।
5. किसी काश्तकार का नोशनल शेयर के आधार पर,, उसके स्वामित्व की भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु /सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन गॉवों को अभाव की स्थिति होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु ड्रॉट मैन्युअल के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित की जावेगी।
7. अभावग्रस्त घोषित गांवो के प्रभावितो से भू–राजस्व वसूली स्थगित की जावेगी तथा सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जायेगा।
8. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

संबंधित जिला कलक्टर घोषित पैकेज अनुसार राशि की गणना कर,बजट की ऑनलाइन मांग शीघ्र प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन होते ही सहायता वितरण बिना विलम्ब किए शुरू करेंगे।

8/3/11

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.1(2)( )आ.प्र.एवं सआ/ओलावृष्टि/11/ 2906-17 जयपुर,दिनांक 9.3.11

वास्ते,
जिला कलक्टर,,
नागौर।

विषय :– ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाला राहत पैकेज।

राज्य सरकार ने इस वर्ष आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुँचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार है :–

1. जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको दो हेक्टेयर तक निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा :–
   - असिंचित क्षेत्र हेतु 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर
   - सिंचित क्षेत्र हेतु
     ए--बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर
     बी–डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर
2. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगें।
3. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है,जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।
4. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले कास्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जावेगा।
5. किसी काश्तकार का नोशनल शेयर के आधार पर,, उसके स्वामित्व की भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु /सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन गॉवों को अभाव की स्थिति होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु डॉट मैन्युअल के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित की जावेगी।
7. अभावग्रस्त घोषित गांवो के प्रभावितो से भू–राजस्व वसूली स्थगित की जावेगी तथा सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जायेगा।
8. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

संबंधित जिला कलक्टर घोषित पैकेज अनुसार राशि की गणना कर,बजट की ऑनलाइन मांग शीघ्र प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन होते ही सहायता वितरण बिना विलम्ब किए शुरू करेंगे।

8/3/11
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.1(2)( )आ.प्र.एवं सआ/ओलावृष्टि/11/ 3433-44 जयपुर,दिनांक 17.3.11

वास्ते,

जिला कलक्टर,,
अलवर।

विषय :– ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाला राहत पैकेज।

राज्य सरकार ने इस वर्ष आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुँचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार है :–

1. जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको दो हेक्टेयर तक निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा :–
   - असिंचित क्षेत्र हेतु — 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर
   - सिंचित क्षेत्र हेतु
     ए–बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु — 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर
     बी–डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु — 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर
2. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगें।
3. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है,जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।
4. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले कास्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जावेगा।
5. किसी काश्तकार का नोशनल शेयर के आधार पर,, उसके स्वामित्व की भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु /सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन गॉवों को अभाव की स्थिति होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु ड्रॉट मैन्युअल के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित की जावेगी।
7. अभावग्रस्त घोषित गांवो के प्रभावितो से भू–राजस्व वसूली स्थगित की जावेगी तथा सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जायेगा।
8. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

संबंधित जिला कलक्टर घोषित पैकेज अनुसार राशि की गणना कर,बजट की ऑनलाइन मांग शीघ्र प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन होते ही सहायता वितरण बिना विलम्ब किए शुरू करेंगे।

शासन सचिव